न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 275/2016 दायरा दिनांक : 08.08.2016

उनवान

लाडबाई पुत्री श्री कैशोलाल, जाति मेहर, आयु वर्ष, निवासी कुलिंजरा हाल मुकाम ग्राम राजपुरा, तहसील छबडा, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1– किशनलाल आत्मज अमरा, जाति मेहर, निवासी कुलिंजरा, तहसील छबडा, जिला बारां

2– शांति पुत्री अमरा, जाति मेहर, निवासी कुलिंजरा, तहसील छबडा, जिला बारां

3– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री दीनानाथ गालव अभिभाषक अपीलांट की ओर से

निर्णय दिनांक : 29.05.2018

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, छबडा के प्रकरण संख्या – 159/2014 निर्णय व डिक्री दिनांक 27.06.2016 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट ने रेस्पोडेंटगण के खिलाफ एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया और यह कथन किया कि वादिया और प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 3 अमरा के वारिस हैं । आराजी पैतृक है । ग्राम कुलिंजरा, तहसील छबडा जमाबंदी खाता संख्या 45 की आराजी खसरा नम्बर 113 रकबा 5 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 329 रकबा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 330 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 331 रकबा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 332 रकबा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 418 रकबा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 419/1 रकबा 5 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 421 रकबा रकबा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 462 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा कुल 9 किता की 14 बीघा 19 बिस्वा स्थित है । जिसमें प्रतिवादी नम्बर 1 का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी नम्बर 2 का 1/3 हिस्सा और प्रतिवादी नम्बर 3 का 1/3 हिस्सा है । वादिया केशवलाल की पुत्री है और इस नाते वादिया अपने खाते 1/6 हिस्सा दर्ज कराने की अधिकारिणी है । अतः वादिनी का दावा डिक्री कर वादिनी को 1/6 हिस्से का खातेदार घोषित कर आराजी का विभाजन किया जाये । अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत में दिनांक 27.06.2016 को वादिनी का दावा खारिज किया है, जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है ।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 08.07.2015 को वादिनी के पक्ष में प्रारम्भिक डिक्री जारी की थी जिसकी इजराय हेतु कार्यवाही विचाराधीन थी । प्रारम्भिक डिक्री को किसी भी पक्षकार ने चुनौती नहीं दी थी और इजराय के दौरान पुनः पत्रावली न्याय आपके द्वार में रखी गयी और फर्जी हक त्याग का हवाला देकर निर्णय दिनांक 08.07.2015 को पलटते हुए वादिनी का वाद निरस्त करते हुए रेस्पोडेंट नम्बर 2 के पक्ष में 1/3 हिस्से की डिक्री जारी की है । निर्णय विधिक प्रावधानों के विपरीत है । कृषि भूमि हेतु रिलीज डीड का कोई प्रावधान नहीं है । अतः अपील

अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि दिनांक 08.07.2015 को प्रारम्भिक डिक्री जारी हुई थी जिसमें वादिया का 1/3 हिस्सा निर्धारित किया गया था । पत्रावली इजराय में लम्बित थी और बिना अपीलांट को सुने कोर्ट कैम्प में पत्रावली के फैसले को पलटते हुए वादिया का हिस्सा खत्म किया गया है । कृषि भूमि में हक त्याग का कोई प्रावधान नहीं है । फर्जी हक त्याग के आधार पर निर्णय पारित किया गया है । सी पी सी की पालना नहीं की गई है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । दिनांक 08.7.2015 को लोक अदालत में वादिया का दावा प्रारम्भिक डिक्री करते हुए विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री जारी की गई है । पत्रावली विभाजन प्रस्ताव में लम्बित थी और इसको पुनः लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में दिनांक 27.06.2016 को वादग्रस्त आराजी में केशवलाल के 1/3 हिस्से, जिसके बाबत वादिया के पक्ष में प्रारम्भिक डिक्री जारी की गई थी, प्रतिवादी नम्बर 2 के पक्ष में दर्ज करने के आदेश पारित किये गये हैं । दिनांक 27.06.2016 को लोक अदालत में वादिया उपस्थित नहीं हुई है और न ही पक्षकारान में कोई राजीनामा पेश किया है ।

दिनांक 08.07.2015 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री जारी की गई थी इस प्रारम्भिक डिक्री को किसी अपीलीय न्यायालय के द्वारा निरस्त नहीं किया गया है । इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत में दिनांक 27.06.2016 को इस निर्णय को पलटते हुए वादिनी का हिस्सा वादग्रस्त आराजी में समाप्त कर प्रतिवादी नम्बर 2 का 2/3 हिस्सा निर्धारित किया है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध है । सी पी सी के प्रावधानों के विपरीत है । न्यायालय द्वारा प्रारम्भिक डिक्री जारी होने के उपरान्त उसी की अनुपालना में तहसील से बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त कर अंतिम डिक्री जारी की जा सकती है । इस प्रारम्भिक डिक्री में कोई परिवर्तन अथवा संशोधन अपीलीय न्यायालय द्वारा अपील में किया जा सकता है । लोक अदालत में अधीनस्थ न्यायालय अपने निर्णय के विपरीत वादिया की अनुपस्थिति में कोई नया निर्णय पारित नहीं कर सकता है । यहां यह भी उल्लेखनीय है कि लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जा सकता है जिसमें उभयपक्ष ने उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश किया हो । उसके अभाव में सी पी सी के प्रावधानों के अनुसार जवाब दावा प्राप्त कर तनकीयात कायम कर तनकीयात पर उभयपक्षीय साक्ष्य लेकर तनकीवार निर्णय पारित किया जाना आवश्यक होता है । इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है एवं खारिज होने योग्य है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.06.2016 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि पूर्व में पारित प्रारम्भिक डिक्री की अनुपालना में अग्रिम कार्यवाही करें । प्रतिवादी नम्बर 2 किसी दस्तावेज के आधार पर पृथक से विधिक कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र है । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 13.08.2018 को उपस्थित होवें ।

निर्णय आज दिनांक 29.05.2018 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागवंती जेठवानी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा